



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या -19 राँची, बुधवार
28 आश्विन, 1943 (श०)
20 अक्टूबर, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 284- 290
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए,
बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और
2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन ---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

पूरक--

पूरक "अ"

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना**30 जुलाई, 2021**

संख्या-4/नि०सं०-12-09/2018 का.-3542--श्रीमती प्रीति केरकेड़ा, झा०प्र०से० (पंचम बैच, गृह जिला-राँची) तत्कालीन अंचल अधिकारी, भरनो, गुमला सम्प्रति सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग को वित्त विभाग के संकल्प एवं झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन मातृत्व एवं उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

- (i) दिनांक 08.11.2019 से 05.05.2020 तक - वित्त विभाग, राँची, झारखण्ड के संकल्प
(कुल 180 दिन) ज्ञापांक-907 दिनांक 01.07.2010 तथा 551 दिनांक 01.03.2007 के तहत मातृत्व अवकाश के रूप में,
- (ii) दिनांक 06.05.2020 से 30.06.2020 तक - झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230
(कुल 56 दिन) एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

28 जुलाई, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-118/2015 का.-3497--श्रीमती दीप्ति प्रियंका कुजूर, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची) तत्कालीन अंचल अधिकारी, बाघमारा, धनबाद सम्प्रति अंचल अधिकारी, कामडारा, गुमला को वित्त विभाग के संकल्प एवं झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन मातृत्व एवं उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निम्नवत प्रदान की जाती है:-

- (i) दिनांक 01.09.2017 से 27.02.2018 तक - वित्त विभाग, राँची, झारखण्ड के संकल्प
(कुल 180 दिन) ज्ञापांक-907 दिनांक 01.07.2010 तथा 551
दिनांक 01.03.2007 के तहत मातृत्व अवकाश
के रूप में,
- (ii) दिनांक 28.02.2018 से 03.04.2018 तक - झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं
(कुल 35 दिन) 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में,

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

27 अगस्त, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-05/2018 का० 4306--श्री गणेश महतो, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-राँची), कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला-खरसावाँ को झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन निम्नवत् अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

- | | |
|---|---|
| (i) 05.06.2019 (01 दिन) | - राजपत्रित अवकाश के रूप में । |
| (ii) 06.06.2019 (01 दिन) | - झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 14बी के तहत पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत अवधि के रूप में । |
| (iii) 07.06.2019 (01 दिन) | - झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 180बी के तहत असाधारण अवकाश के रूप में । |
| (iv) 08.06.2019 से 12.06.2019 तक (कुल 05 दिन) | - झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 14बी के तहत पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत अवधि के रूप में । |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

26 अगस्त, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-127/2015 का०-4271--श्रीमती कामिनी कौशल लकड़ा, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची) सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग को वित्त विभाग के संकल्प के सुसंगत नियमों के अधीन मातृत्व अवकाश की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

- (i) दिनांक 11.01.2021 से 09.07.2021 - वित्त विभाग, राँची, झारखण्ड के संकल्प
तक (कुल 180 दिन) जापांक-907, दिनांक-01.07.2010 तथा 551
दिनांक 01.03.2007 के तहत मातृत्व अवकाश
के रूप में ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

18 अगस्त, 2021

संख्या-4/नि०सं०-12-118/2015 का०- 4104--श्रीमती दीप्ति प्रियंका कुजूर, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, गृह जिला-राँची) तत्कालीन अंचल अधिकारी, बाघमारा, धनबाद सम्प्रति अंचल अधिकारी, कामडारा, गुमला को वित्त विभाग के संकल्प एवं झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के अधीन मातृत्व एवं उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

- (i) दिनांक 24.08.2020 से 19.02.2021 तक - वित्त विभाग, राँची, झारखण्ड के संकल्प
(कुल 180 दिन) जापांक-907 दिनांक 01.07.2010 तथा 551 दिनांक 01.03.2007 के तहत मातृत्व अवकाश के रूप में,
- (ii) दिनांक 20.02.2021 से 04.04.2021 तक - झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं
(कुल 44 दिन) 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में,

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग)

अधिसूचना

20 अक्टूबर, 2021

संचिका संख्या-02/निग०सह०-139/2006-1135--विभागीय संकल्प संख्या-466 दिनांक-20.03.2007 द्वारा श्री इरफान उज्जैर, तत्कालीन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध मुंगेर-जमुई केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० के अधिभार वादों में षड्यंत्र पूर्वक कालतिरोहित कराकर सन्निहित बैंकों की एक बड़ी राशि की वसूली में व्यवधान उत्पन्न करने, भागलपुर स्पीनिंग मिल घोटाले में मोजाहिदपुर थाना, भागलपुर में दायर प्राथमिकी संख्या 70/1999 में निर्गत गिरफ्तारी वारंट से बचने के लिए कार्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, उच्चाधिकारी के आदेश को विफल करने का प्रयास करने तथा सरकारी आदेश की अवहेलना करने आदि आरोपों के लिए झारखण्ड असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-260 दिनांक-13.02.2010 द्वारा श्री उज्जैर के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का अधिगम विभाग में समर्पित किया गया ।

समर्पित जाँच अधिगम की समीक्षा के क्रम में विभागीय पत्रांक-2214 दिनांक-23.10.2010 द्वारा जाँच अधिगम निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची को लौटाते हुए आरोपों की जाँच गंभीरता से करते हुए अपने मंतव्य के साथ पुनः विभाग में समर्पित करने का अनुरोध किया गया। इस विभागीय निदेश के आलोक में तत्कालीन निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-2564 दिनांक-29.11.2011 द्वारा यह मंतव्य दिया गया कि उनके कार्यालय के पत्रांक-260 दिनांक-13.02.2010 द्वारा पूर्व में प्रेशित अधिगम प्रतिवेदन से वे समीक्षोपरान्त सहमत हैं ।

अतः श्री इरफान उज्जैर, तत्कालीन संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में गठित आरोप, निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची-सह-संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच अधिगम एवं तत्कालीन निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य प्रतिवेदन के सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री उज्जैर को आरोप मुक्त करते हुए, उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अबुबककर सिद्दीख पी,
सरकार के सचिव ।